

26.3.26
DDF (सौकर्य)
26.03.26
प्रेषक

सं0सं0-5 बजट (1) 20/2022 (खण्ड) 4253(190)
झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

अनुबन्धकर शिद्दीख पी0, गा0प्र0रो0,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 12.02.26

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना" में जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 302.653 लाख (तीन करोड़ दो लाख पैंसठ हजार तीन सौ) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन पूर्व वर्षों के स्वीकृत कार्यों से संबंधित बकाया शेष राशि को सम्मिलित करते हुए मो0 460.18338 लाख (चार करोड़ साठ लाख अठारह हजार तीन सौ अड़तीस) रु0 मात्र के व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना" में जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 302.653 लाख (तीन करोड़ दो लाख पैंसठ हजार तीन सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन पूर्व वर्षों के स्वीकृत कार्यों से संबंधित बकाया शेष राशि को सम्मिलित करते हुए मो0 460.18338 लाख (चार करोड़ साठ लाख अठारह हजार तीन सौ अड़तीस) रु0 मात्र के व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क) जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्न रूप से दी जाती है- (रु0 में)

क्रम	जीर्णोद्धार कार्य	प्राक्कलित/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला / स्थापना
लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन				
1	गरगा प्रक्षेत्र, बोकारो का जीर्णोद्धार कार्य	90,06,200 / -	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 24.04.2025 को।	बोकारो
योग:		90,06,200 / -		
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
2	Redevelopment of Bund and Rearrangement of Water Escape of Button Talab, Ranchi	64,11,800 / -*	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0-2, राँची द्वारा दिनांक 23.08.2025 को।	राँची
3	पश्चिम एवं दक्षिण की ओर चाहरदीवारी निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, धुर्वा, राँची।	49,90,400 / -**	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर अंचल, राँची द्वारा दिनांक 24.08.2025 को।	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची
4	मत्स्य अनुसंधान केन्द्र प्रक्षेत्र के अधीन डेयरी कैम्पस में Renovation of Grass Carp Nursery Pond no. 08 (size - 126 ft x 70 ft)	2,72,600 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0-01, राँची द्वारा दिनांक 15.07.2024 को।	मत्स्य अनुसंधान केन्द्र, राँची

Handwritten signature and initials.

Handwritten number 107.

5	मत्स्य अनुसंधान केन्द्र प्रक्षेत्र के अधीन डेयरी कैम्पस में Renovation of Amur Carp Nursery Pond no.10 (size - 133 ft x 48 ft)	2,06,700 /-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं०-01, राँची द्वारा दिनांक 15.07.2024 को।	मत्स्य अनुसंधान केन्द्र, राँची
6	मत्स्य अनुसंधान केन्द्र प्रक्षेत्र के अधीन डेयरी कैम्पस में Renovation of Grass Carp Nursery Pond no.11 (size - 132 ft x 129 ft)	4,98,500 /-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं०-01, राँची द्वारा दिनांक 15.07.2024 को।	
7	मत्स्य अनुसंधान केन्द्र प्रक्षेत्र में Renovation of Poly House	9,83,900 /-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं०-01, राँची द्वारा दिनांक 15.07.2024 को।	
8	Renovation of Training Centre at District Fisheries Office, Sahebganj	12,00,650 /-	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, साहेबगंज द्वारा दिनांक 04.11.2024 को।	साहेबगंज
9	जिला मत्स्य कार्यालय भवन (New), जामताड़ा का जीर्णोद्धार कार्य	18,25,550 /-	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, जामताड़ा द्वारा दिनांक 24.06.2025 को।	जामताड़ा
योग:		1,63,90,100 /-		

(ख) पूर्व के वर्षों में स्वीकृत जीर्णोद्धार कार्य के अवशेष राशि के व्यय की स्वीकृति निम्न रूप से दी जाती है—
(₹ में)

क्रम	जीर्णोद्धार कार्य	व्यय हेतु स्वीकृत राशि	प्रशासनिक स्वीकृति/आवंटन/एकरारनामा	जिला / स्थापना
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
1	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, धुर्वा स्थित मत्स्य प्रक्षेत्र के संचयन तालाब सं० 1 का जीर्णोद्धार (वर्ष 2023-24 में राज्यादेश सं० 50 रा० (वि०) दिनांक 06.03.2024 द्वारा स्वीकृत कार्य की अवशेष राशि)	2,01,748 /-	वित्तीय वर्ष 2023-24 में 45,48,200/- ₹० पर स्वीकृत। उक्त वर्ष 43,43,926/- ₹० आवंटित। एकरारनामा की राशि 45,45,674/- ₹०। शेष 2,01,748/- ₹० मात्र की मांग मुख्य अनुदेशक के पत्रांक 289 दिनांक 06.06.2025 द्वारा।	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची
2	Renovation of old building of Research wing Campus, Shalimar (वर्ष 2024-25 में राज्यादेश सं० 51 रा० (वि०) दिनांक 10.02.2025 द्वारा स्वीकृत कार्य की अवशेष राशि)	59,58,162 /-***	वित्तीय वर्ष 2024-25 में 70,48,500/- ₹० पर स्वीकृत। उक्त वर्ष 10,87,640/- ₹० आवंटित। एकरारनामा की राशि 70,45,802/- ₹०। शेष 59,58,162/- ₹० मात्र की मांग मुख्य अनुदेशक के पत्रांक 363 दिनांक 12.08.2025 द्वारा।	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची
योग:		61,59,910 /-		
उप योग (जीर्णोद्धार कार्य):		3,15,56,210 /-		

(ग) निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्न रूप से दी जाती है—

(₹ में)

क्रम	निर्माण कार्य	प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
1	जिला मत्स्य कार्यालय, सिमडेगा के उपर प्रथम तल Extension कार्य	41,09,100 /-	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं०-2, राँची द्वारा दिनांक 23.07.2025 को।	सिमडेगा
2	जिला मत्स्य कार्यालय, सिमडेगा में Parking shed and PCC Approach निर्माण कार्य	7,59,900 /-	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सिमडेगा द्वारा दिनांक 19.07.2025 को।	
योग:		48,69,000 /-		

(घ) पूर्व के वर्षों में स्वीकृत निर्माण कार्य के अवशेष राशि के व्यय की स्वीकृति निम्न रूप से दी जाती है—
(रु में)

क्रम	निर्माण कार्य	व्यय हेतु स्वीकृत राशि	प्रशासनिक स्वीकृति/आवंटन/एकरारनामा	जिला
लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन				
1	कोडरमा में चंदवारा प्रखण्ड स्थित उरवां फिश फीड मिल के परिसर के चाहरदीवारी निर्माण के साथ कन्सर्टीना फेंसिंग (वर्ष 2023-24 में राज्यादेश सं० 59 रा० (वि०) दिनांक 15.03.2024 द्वारा स्वीकृत कार्य की अवशेष राशि)	2,04,868 /-	वित्तीय वर्ष 2023-24 में 19,48,800 /- रु० पर स्वीकृत। उक्त वर्ष 17,43,644 /- रु० आवंटित। एकरारनामा की राशि 19,48,512 /- रु०। शेष 2,04,868 /- रु० मात्र की मांग जिला मत्स्य पदाधिकारी, कोडरमा के पत्रांक 1236 दिनांक 25.09.2025 द्वारा।	कोडरमा
2	तेनुघाट मत्स्य प्रक्षेत्र, बोकारो का आधुनिक मत्स्य प्रक्षेत्र के रूप में विकास (प्रथम चरण) (वर्ष 2023-24 में राज्यादेश सं० 57 रा० (वि०) दिनांक 14.03.2024 द्वारा स्वीकृत कार्य की अवशेष राशि)	1,72,60,980 /-	वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,39,70,000 /- रु० पर स्वीकृत। उक्त वर्ष 2,00,00,000 /- रु० आवंटित। एकरारनामा की राशि 3,72,60,980 /- रु०। शेष 1,72,60,980 /- रु० मात्र की मांग कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, बोकारो के ज्ञापांक 1069 दिनांक 18.09.2025 द्वारा।	बोकारो
योग:		1,74,65,848 /-		
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
3	जिला मत्स्य कार्यालय, खूंटाबाँध एवं बड़ा बाँध मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, दुमका पर S/R to E.I. in District fishery office, Khuntabandh and Bara Bandh Fishery Seed sector centre & provision of security light surrounding the fishery pond Bara Bandh and Khuntabandh (वर्ष 2023-24 में राज्यादेश सं० 58 रा० (वि०) दिनांक 15.03.2024 द्वारा स्वीकृत कार्य की अवशेष राशि)	16,19,290 /-	वित्तीय वर्ष 2023-24 में 28,85,192 /- रु० पर स्वीकृत। उक्त वर्ष 12,65,902 /- रु० आवंटित। एकरारनामा की राशि 28,85,192 /- रु०। शेष 16,19,290 /- रु० मात्र की मांग जि० म० पदा०, दुमका के पत्रांक 1154 दिनांक 23.11.2024 द्वारा।	दुमका
योग:		16,19,290 /-		
उप योग (निर्माण कार्य):		2,39,54,138 /-		
कुल योग (क) + (ख) + (ग) + (घ):		5,55,10,348 /-		

नोट :- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में समुचित बजट उपबंध नहीं रहने के कारण

(i) * Redevelopment of Bund and Rearrangement of Water Escape of Button Talab हेतु प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो० 64,11,800 /- रु० मात्र के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो० 30,00,000 /- रु० मात्र आवंटित किये जाएँगे। शेष मो० 34,11,800 /- रु० मात्र का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसी मद में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

(ii) ** मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची के पश्चिम एवं दक्षिण की ओर चाहरदीवारी निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य हेतु प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो० 49,90,400 /- रु० मात्र के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो० 18,68,352 /- रु० मात्र आवंटित किये जाएँगे। शेष मो० 31,22,048 /- रु० मात्र का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसी मद में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

(iii) *** Renovation of old building of Research wing Campus, Shalimar हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो० 30,00,000 /- रु० मात्र आवंटित किये जाएँगे। शेष मो० 29,58,162 /- रु० मात्र का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसी मद में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

3. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय राज्यादेश सं० 10 रा० (वि०) दिनांक 04.07.2025 द्वारा "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना" अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन में उपबंधित राशि मो० 6005.00 लाख रु० एवं मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय में उपबंधित राशि मो० 1415.00 लाख अर्थात् कुल मो० 7420.00 लाख रु० मात्र में से मुख्य शीर्ष-2405 में मो० 5949.9871 लाख तथा मुख्य शीर्ष-4405 में मो० 167.4075 लाख अर्थात् कुल मो० 6117.3946 लाख (इकसठ करोड़ सतरह लाख उनचालीस हजार चार सौ साठ) रु० मात्र की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गयी है।

4. योजनान्तर्गत इस राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय के तहत जीर्णोद्धार एवं निर्माण मद में निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा -

(राशि लाख रु० में)
गाँव संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय-72-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

क्र०	लघु शीर्ष / विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं० 10 रा० (वि०) दिनांक 04.07.2025 द्वारा स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
(क)	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन				
1	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-44-जीर्णोद्धार 53S44050010172010544	200.00	81.5625	90.062	28.3755
2	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050010172010545	350.00	0.00	174.65848	175.34152
	उप योग:	550.00	81.5625	264.72048	203.71702
(ख)	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना				
1	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-44-जीर्णोद्धार 53S44050078972010544	20.00	16.4250	0.00	3.5750
	उप योग:	20.00	16.4250	0.00	3.5750
(ग)	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
1	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-44-जीर्णोद्धार 53S44050079672010544	200.00	69.42	130.58	0.00
2	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050079672010545	645.00	0.00	64.8829	580.1171
	उप योग:	845.00	69.42	195.4629	580.1171
	योग (मुख्य शीर्ष-4405) :	1415.00	167.4075	460.18338	787.40912

कुल मो० 460.18338 लाख (चार करोड़ साठ लाख अठारह हजार तीन सौ अड़तीस) रु० मात्र।

5. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

6. (क) इस योजना अंतर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची/बोकारो/साहेबगंज/दुमका एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा/सिमडेगा/कोडरमा तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची एवं सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), मत्स्य अनुसंधान केन्द्र, राँची होंगे। कंडिका 2 के (क),(ख),(ग) एवं (घ) में अंकित जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्यों (कंडिका-2 (घ) के कम सं० 03 में अंकित विद्युत संबंधी कार्य को छोड़कर शेष सभी कार्य) के लिए वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी।

कंडिका-2 (घ) के क्रम सं० 03 में अंकित विद्युत संबंधी कार्य हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, धनबाद को पुस्त हस्तांतरण/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

(ख) स्वीकृत राशि का व्यय लोक निर्माण संहिता (PWD) के विहित प्रावधानों तथा वित्त विभागीय एतद् विषयक निर्गत आदेशों के अधीन किया जायेगा।

7. जीर्णोद्धार/निर्माण/विद्युत कार्य हेतु प्रयोग में लाये जा रहे सामग्रियों एवं जीर्णोद्धार/निर्माण/विद्युत कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कराकर प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तकनीकी रूप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य से संतुष्ट होने के उपरांत ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जायेगा।

8. स्वीकृत सभी योजनाओं को इस स्वीकृत्यादेश की निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर पूर्ण किया जायेगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से निरंतर संपर्क कर कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरूप कराने के साथ-साथ स्वीकृत कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे तथा जीर्णोद्धार/निर्माण/विद्युत कार्यों का जाँच प्रतिवेदन एवं कार्यों की भौतिक प्रगति प्रतिवेदन, निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे।

10. यह चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

11. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

12. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

13. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-2/आर०-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा सी०एस०-01/आर०-04/2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

14. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

15. यह चालू प्रकृति की अम्ब्रेला योजना (Umbrella Scheme) है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य शीर्ष-2405 एवं मुख्य शीर्ष-4405 सहित कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो० 7330.00 लाख रु० (संशोधित बजट उपबंध मो० 6600.00 लाख रु०) मात्र में से मो० 5500.84817 लाख रु० मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

16. किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत स्वीकृत जीर्णोद्धार/निर्माण/विद्युत कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप किया जाय।

17. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय मंत्री की स्वीकृति निम्न शर्त के साथ प्राप्त है :-

“योजना क्रियान्वयन के संबंध में वित्त विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के साथ-साथ अन्य विभागीय शर्तों का अनुपालन कर लिया जाय।”

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।


19. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

20. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाइट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।


De Rita

विश्वासभाजन
(अबुबकर सिद्दीखे पी०)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-5 बजट (1) 20/2022 (खण्ड) 42-रा०(वि०) राँची, दिनांक 12.02.26
प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-5 बजट (1) 20/2022 (खण्ड) 42-रा०(वि०) राँची, दिनांक 12.02.26
प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/योजना विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव